SCHOOL OF STUDIES IN CHEMISTRY

रसायन अध्ययन शाला

(DST FIST SPONSORED & UGC-SAP (DRS-II) ASSISTED DEPARTMENT)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

RAIPUR-492010 (CHHATTISGARH)

क्रमांक /1764 /रसायन अ.शा./2024 रायपुर, दिनांक 21.06.2024

प्रवेश–सूचना (एम.एस.सी.,प्रथम सेमेस्टर,रसायन)

Counseling /Verification of Documents Date : 28/06/2024

सामान्य सीट (संख्या–35)

एम.एस.सी. रसायन, प्रथम सेमेस्टर प्रवेश (सत्र 2024–25) (35 सामान्य सीट) मे **प्रवेश हेतु काउन्सलिंग का आयोजन दिनांक 28.06.2024 को डॉ. सी. वी. रमन हॉल, विज्ञान भवन, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित हैं।** विश्वविद्यालय विवरण पत्रिका 2024–25 के कंडिका (2) : प्रवेश नियमानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक / एफ 17–95 / 2017 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 07 / 06 / 2024 सत्र **2024–25 प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार(संलग्न) प्रवेश हेतु Councling में पंजीयन के पश्चात् तथा सभी दस्तावेजों का सत्यापन करके मेरिट सूची जारी किया जायेगा।** विद्यार्थियों को निम्न सारिणीनुसार काउंसलिंग में अन्य अधिभार (एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स / स्पोर्ट्स) एवं अन्य संबंधित प्राप्ति प्रमाण पत्र लेकर पंजीयन एवं प्रवेश हेतु उपस्थित होना हैं।

35 सामान्य सीट (संख्या–35)

रजिस्ट्रेशन दिनांक : 28.06.2024

(रजिस्ट्रेशन का समय: 9.00 AM to 1.00 PM)

S.No.	Category	प्रतिशत	सीट	कट ऑफ / प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक
1	UR	36%	13	19
2	ST	32%	11	08
3	SC	12%	04	12
4	OBC	14%	05	19
5	FF*	3%	01	सभी FF
6	PH*	3%	01	सभी PH

(** अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता पर यह सीट अनारक्षित वर्गो में जाएगा)

टीपः– इन सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

सामान्य सीट (संख्या–35) मे प्रवेश दोपहर 3.00 बजे से

प्रवेश प्रभारी
21/06/2024

Head
School Of Studies In Chemistry
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

सामान्य सीट (संख्या–35) हेतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।

<u>महत्त्वपूर्ण निर्देशः–</u> पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की विवरण पत्रिका 2024–25 में उल्लेखित प्रवेश नियमानुसार उपरोक्त सभी छात्र–छात्राएं अपने साथ निम्न आवश्यक दस्तावेजों (मूल) एवं फोटोकापी के साथ उपस्थित होंवें।

1. दसवी की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र
2. बारहवी की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र
3. बी.एस.सी. प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य अधिभार (एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स एवं अन्य) संबंधी प्राप्ति प्रमाण–पत्र
6. आधार कार्ड
7. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र
8. स्थानांतरण प्रमाण पत्र

1. सामान्य सीट की फीसः प्रतिवर्ष 6660.00 अनुमानित

टीपः– छ.ग. के बाहर विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क (**Double Tution Fees**) तथा साथ ही पात्रता प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। वे छात्र–छात्राएं जिसका पूर्व वर्षों में नामांकन पं.र.शु.वि.वि., रायपुर में नही है। दूसरे विश्विद्यालय में हैं, उन्हें नामांकन शुल्क 150.00 रूपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा। तथा छ.ग.के बाहर के विश्वविद्यालयों से आये छात्र–छात्राओं को अप्रवासन शुल्क (**Immigration Fees**) 360.00 देना होगा।

स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश पर विचार किया जावेगा।

प्रवेश प्रभारी
21/06/2024

Head
School Of Studies In Chemistry
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

SCHOOL OF STUDIES IN CHEMISTRY

रसायन अध्ययन शाला

(DST FIST SPONSORED & UGC-SAP (DRS-II) ASSISTED DEPARTMENT)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

RAIPUR-492010 (CHHATTISGARH)

क्रमांक/765/रसा.अ./2024 दिनांक- 21.06.2024

प्रवेश–सूचना (एम.एस.सी.,प्रथम सेमेस्टर,रसायन)

Counseling /Verification of Documents Date : 28/06/2024

पेमेंट सीट (संख्या–25)

एम.एस.सी, रसायन, प्रथम सेमेस्टर प्रवेश (सत्र 2024–25) (25 पेंमेट सीट) मे **प्रवेश हेतु काउन्सलिंग का आयोजन दिनांक 28.06.2024 को डॉ. सी. वी. रमन हॉल, विज्ञान भवन, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित हैं।** विश्वविद्यालय विवरण पत्रिका 2024–25 के कंडिका (2) : प्रवेश नियमानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 07/06/2024 सत्र **2024–25 प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार(संलग्न) प्रवेश हेतु Councling में पंजीयन के पश्चात् तथा सभी दस्तावेजों का सत्यापन करके मेरिट सूची जारी किया जायेगा।** विद्यार्थियों को काउंसलिंग में अन्य अधिभार **(एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स/स्पोर्ट्स) एवं अन्य संबंधित प्राप्ति प्रमाण पत्र** लेकर पंजीयन एवं प्रवेश हेतु उपस्थित होना हैं।

पेमेंट सीट (संख्या–25)
रजिस्ट्रेशन दिनांक 28.06.2024
(रजिस्ट्रेशन का समय: 10 .00 AM to 1.00 PM)

S.No.	Category
1	All (सभी अभ्यर्थी)

स्थान– सी.वी.रमन हॉल, विज्ञान भवन

पेमेंट सीट में प्रवेश का समय 4.00 बजे से

महत्त्वपूर्ण निर्देशः– पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की विवरण पत्रिका 2024–25 में उल्लेखित प्रवेश नियमानुसार उपरोक्त सभी छात्र–छात्राएं अपने साथ निम्न आवश्यक दस्तावेजों ओरिजिनल एवं फोटोकापी के साथ उपस्थित होंवें।

1. दसवी की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र
2. बारहवी की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र
3. बी.एस.सी. प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य अधिभार (एन.सी.सी./एन.एस.एस. /स्काउट्स एवं अन्य) संबंधी प्राप्ति प्रमाण–पत्र
6. आधार कार्ड
7. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र
8. स्थानांतरण प्रमाण पत्र

1. **पेंमेंट सीट की फीसः 4900,000 + 25,000 प्रति सेमेस्टर (प्रति छः माह) =29,900.00 अनुमानित**

प्रवेश प्रभारी
21/06/2024

विभागाध्यक्ष
Head
School Of Studies In Chemistry

Scanned with OKEN Scanner

टीपः– छ.ग. के बाहर विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं को शिक्षण शुल्क (**Double Tution Fees**) तथा साथ ही पात्रता प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। वे छात्र–छात्राएं जिसका पूर्व वर्षों में नामांकन पं.र.शु.वि.वि., रायपुर में नही है। दूसरे विश्वविद्यालय में हैं, उन्हें नामांकन शुल्क 150.00 रूपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा। तथा छ.ग.के बाहर के विश्वविद्यालयों से आये छात्र–छात्राओं को अप्रवासन शुल्क (**Immigration Fees**) 360.00 देना होगा।

प्रवेश प्रभारी

21/06/2024

विभागाध्यक्ष

Head
School Of Studies In Chemistry
Pt. Ravishankar Shukla Universit
RAIPUR (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रवेश के नियम

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम

शैक्षणिक **सत्र 2024–25** में विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के परिणाम में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रवेश दिया जाएगा।

(अ) पात्रता –

एम.ए. कक्षाओं के लिए किसी स्नातक उपाधि में तथा एम.एस–सी. कक्षाओं के लिए बी. एस–सी. उपाधि में कम से कम द्वितीय श्रेणी (10+2+3 योजनान्तर्गत) होनी चाहिए। एम.ए. /एम.एस.सी. भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। इसके अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

बी.पी.एड. में प्रवेश के लिए National Council of Teacher Education मापदंडों के अनुसार स्नातक होना आवश्यक है।

एम.फार्मेसी में प्रवेश के लिए Pharmacy Council of India नई दिल्ली के मापदंडों के अनुसार बी.फार्मेसी. होना आवश्यक है।

बी.ई./बी.टेक./बी.फार्मेसी के छात्र, एम.एस.सी.–भौतिकी, रसायन, गणित विषय में नियमित प्रवेश/स्वाध्यायी परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे।

पहले से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्रों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश देना संभव होगा।

किसी स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को उसी विषय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो छात्र विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण दंडित किए गए हों, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिन छात्रों के विरूद्ध गंभीर आपराधिक या अनैतिकता–संबंधी प्रकरण अथवा परीक्षा–अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पुलिस विभाग या न्यायालय में लंबित हो, या जिन छात्रों ने परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित किया हो, उन्हें तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि प्रकरण का निराकरण न हो जावे।

पात्रता हेतु अपनी समस्त पूर्ववर्ती परीक्षाओं की अंकसूची की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो–प्रतियाँ एवं उपाधि–प्रमाण–पत्र, अस्थायी (Provisional) प्रमाण–पत्र की भी फोटो प्रतियाँ मूल प्रमाण–पत्रों के साथ जमा करनी होगी जिसमें सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी की अंकसूचियों की फोटोप्रति संलग्न करना आवश्यक है। उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर ही पात्रता हेतु निर्धारित फीस जमा करना आवश्यक होगा। छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करके इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों/छात्राओं को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके संबंधित अध्ययनशालाओं में प्रवेश के पूर्व जमा करना होगा।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

बी.वॉक –बी.वॉक. कोर्स (रिनेवेबल एनर्जी टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट) के पाठयक्रम के लिए हायर सेकेण्डरी (10+2) में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विज्ञान विषय में उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी.के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जावेगी। चयन प्रक्रिया सामान्य प्रवेश परीक्षा या हायर सेकेण्डरी या समतुल्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी।

पंचवर्षीय एकीकृत एम.एस–सी. (CBS) – पंचवर्षीय एकीकृत एम.एस–सी. (रसायन, जीवविज्ञान, भौतिकी, गणित) (CBS) पाठयक्रम में प्रवेश के लिए हायर सेकेण्डरी (10+2) विज्ञान विषय में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एस.सी., एस.टी. वर्ग के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जावेगी। चयन प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु :

विधि अध्ययन में बी.ए.एल.एल.बी. पाठयक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्डरी में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए। अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों को 5 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 3 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश परीक्षा के परिणाम के मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) आरक्षण –

12 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, 32 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, तथा 14 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए, 5 प्रतिशत (शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला को छोड़कर) स्थान दिव्यांगों के लिए तथा 3 प्रतिशत स्थान स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन वर्गों के छात्र न मिलने पर रिक्त स्थान अन्य सुपात्र छात्रों को दे दिए जाएँगे। इन सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षित स्थानों हेतु आवेदन–पत्र देते समय समक्ष अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (नोट–आरक्षण छ.ग. शासन के नियमानुसार प्रभावी होगा)

कश्मीरी प्रवासियों के पाल्यों को प्रवेश में छूट

(संदर्भ– मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित) :–

1. प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाना है।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में इन छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यकतानुसार 5 प्रतिशत तक सीट में वृद्धि की जा सकती है।
3. मेरिट के आधार पर निर्धारित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एक सीट में आरक्षित रखा जावे।
4. निवास प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता को महत्व न दिया जावे।

(स) चयन का आधार –

छात्रों का चयन विभिन्न विभागों/अध्ययनशालाओं द्वारा आयोजित अलग–अलग प्रवेश परीक्षाओं के मेरिट के अंकों के आधार पर होगा।

01. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे – एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक. इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर टेक्नोलॉजी, बी.फार्मा., एम.फार्मा., बी.एड., बी.पी.एड, एम.पी.एड. (प्रवेश के लिए चयन विभागीय नियमानुसार किया जावेगा), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी (पी.जी.डी.आर.पी.) में प्रवेश राज्य शासन/संबंधित विषय की केंद्रीय परिषद्/नियामक संस्थान एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार दिया जाएगा।

02. उपर्युक्तानुसार प्रावीण्य निर्धारित करते हुए अजा/अजजा/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सैद्धांतिक पेपरों के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक की शिथिलता दी जाएगी।

03. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए 2006 के पश्चात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

04. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के चिकित्सकीय जाँच के बाद प्रवेश दी जाएगी।

05. राज्य से बाहर के उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु अध्ययनशाला स्वतंत्र होगी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है, ऐसे विद्यार्थियों की उपलब्धता होने पर पुनर्निधारित सीटें 20 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती हैं।

06. विदेशी विद्यार्थियों की उपलब्धता होने तथा अर्हतापूर्ण होने पर उन्हें प्रवेश देने हेतु अध्ययनशाला स्वतंत्र होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व में निर्धारित सीटें 20 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

टिप्पणी:–यदि कोई विद्यार्थी ऐसे विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है, जिसे उसने स्नातक परीक्षा के लिए नहीं चुना था, तो ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश तभी दिया जाएगा, जब उपर्युक्तानुसार पात्रता रखने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त रह जाता है।

(द) अधिभार –

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2024–25 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के बिंदु क्रमांक 13 के अनुसार निम्नानुसार अधिभार देय होगा तथा अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

1.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "A" सर्टिफिकेट	2%
2.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "B" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3%
3.	"C" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	4%
4.	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	4%

5.	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5%
6.	राज्यपाल स्काउट्स	5%
7.	राष्ट्रपति स्काउट्स	10%
8.	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10%
9.	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10%
10.	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अंन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15%
11.	ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10%
12.	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, एवं कर्मचारियों के पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी को यद्यपि अंकों का अधिभार (एक बार से अधिक नहीं दिया जावेगा।)	5%
13.	लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :—	
	(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	2%
	(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	4%
14.	लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :—	
	(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	6%
	(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	7%
	(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	5%
15.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :—	
	(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15%
	(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12%
	(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10%
16.	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10%
17.	छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :—	
	(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10%
	(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12%

18. जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 1%
19. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के बिन्दु क्रमांक–8 में लिए गए निर्णयानुसार राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक एवं पुलिस वीरता पदक व अन्य वीरता पदक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके बच्चों एवं विधवाओं को विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में 5 प्रतिशत आरक्षण एवं योग्यता परीक्षा पर न्यूनतम पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत रियायत दी जावेगी।

टीप :– शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रवेश के लिए उपर्युक्त अधिभार लागू नहीं होंगे। इसमें अधिभार–गणना विभागीय नियमानुसार होगी।

(इ) विशेष प्रोत्साहन –

1. छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को आगामी शिक्षा–सत्र में सीधे उस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, जिसकी उसे पात्रता है। परंतु इस प्रकार की सुविधा को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे उपर्युक्त उपलब्धि पुनः आवश्यक होगी।

(क) प्रवेश हेतु आवेदन –

(1) छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2024–25 में विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में ऑनलाईन प्रवेश दिया जाएगा। जिसकी जानकारी पृथक से जारी की जाएगी। प्रवेश से संबंधित अन्य जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.prsu.ac.in के विवरण पत्रिका (Prospectus) में उपलब्ध है।

(2) आवेदन के साथ निम्न स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र संलग्न किए जाने चाहिए :–
1. निवास प्रमाण–पत्र एवं अन्य अधिभार संबंधी प्राप्ति के प्रमाण–पत्र।
2. जाति प्रमाण–पत्र जहाँ लागू हो
3. जन्मतिथि दर्शाने वाला प्रमाण–पत्र
4. अंकसूची/पात्रता परीक्षा प्रमाण–पत्र

(3) प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
(अ) स्थानांन्तरण प्रमाण–पत्र
(ब) चरित्र प्रमाण–पत्र
(स) सत्यापन हेतु मूल अंक सूची
(द) पात्रता प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
(इ) माइग्रेशन प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
(ई) अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो तो)

(ख) विविध –

(अ) अध्ययनशाला–अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे बिना कारण बताए किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश के लिए मना कर दें। इस विषय में कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।

(छ) विषय–परिवर्तन –

यदि कोई विद्यार्थी किसी अध्ययनशाला से अन्य अध्ययनशाला या अन्य विषय में परिवर्तन चाहता हो, तो उसे संबंधित अध्ययनशाला–प्रमुख से लिखित अनुमति प्राप्त करके पूर्व अध्ययनशाला (पुराने विभाग) से अंतरविभागीय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र लेकर वांछित अध्ययनशाला में जमा करना होगा और ऐसा परिवर्तन 14 अगस्त के बाद नहीं किया जाएगा।

(ज) निवास –

विश्वविद्यालय–अध्ययनशाला में प्रविष्ट विद्यार्थी के लिए (अ) माता, पिता, स्थानीय अभिभावक के साथ (आ) विश्वविद्यालय–छात्रावास में (इ) मान्यता प्राप्त छात्रावास में या (ई) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत निवास–स्थान में रहना आवश्यक है। इस संबंध में विद्यार्थी को अपने स्थानीय निवास–स्थान की एवं ऐसे किसी परिवर्तन की सूचना अपनी अध्ययनशाला के कार्यालय को तीन दिनों के भीतर प्रेषित करना आवश्यक है।

(झ) अन्य जानकारियाँ –

(1) **शैक्षणिक सत्र** – शैक्षणिक सत्र 18 जून 2024 से आरंभ होगा।

(2) **अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अँग्रेजी होगा।**

(3) **परिचय पत्र** –

विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं के प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय–पत्र रखना आवश्यक है। प्रत्येक सभा–सम्मेलन अथवा अध्ययनशाला–कार्यक्रम और कार्य–व्यापार के समय यह पत्र विद्यार्थी के पास होना चाहिए। यह पत्र अध्ययनशाला–प्रमुख से प्राप्त होगा तथा सभी विद्यार्थियों का परिचय–पत्र प्रॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(4) **पाठ्योत्तर शिक्षण एवं कार्यक्रम**–

विद्यार्थी के सर्वतोमुखी विकास के लिए विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं में कतिपय पाठ्योत्तर शिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों का प्रबंध है।

(5) **विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं में अध्यापन**–

विश्वविद्यालय–अध्ययनशालाओं में कार्य–अवधि सामान्यतः प्रातः 10.30 से 5.30 बजे तक रहेगी। साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला तथा योग एवं दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला में कार्य–अवधि प्रातः 7:30 से 2:30 बजे तक रहेगी। विशेष परिस्थिति में कुलपति की अनुमति से अध्ययनशाला विशेष की कार्य–अवधि में परिवर्तन हो सकता है। निश्चित कार्य–समय की सूचना संबंधित अध्ययनशाला–अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी, जिसकी जानकारी विद्यार्थी को स्वयं लेनी चाहिए।

(6) **एन.एस.एस.**:–

विश्वविद्यालय–अध्ययनशाला में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की इकाई भी कार्यरत है। इसके अंतर्गत 75 छात्र–छात्राओं का चयन किया जाएगा। जिन छात्र–छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि में 240 घंटे का सेवा कार्य पूर्ण कर

लिया है और विश्वविद्यालय ने जिन्हें इस हेतु निर्दिष्ट प्रमाण—पत्र जारी कर दिया है, उन्हें प्राप्तांक के सहयोग (Grand Total) के तीन प्रतिशत अंकों का लाभ देकर प्रवेश लेने हेतु उनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी।

(7) स्वास्थ्य केन्द्रः—

अध्ययनशाला के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय—परिसर में स्थित सर्वसुविधायुक्त स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.एस. अग्रवाल, (एम.डी.मेडीसिन) 9329103370) तथा महिला चिकित्सक डॉ. भावना अग्रवाल (पी.टी.) की सेवाओं के साथ आधुनिकतम उपकरणों समेत पैथालॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

(8) छात्रावास सुविधा :—

अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पृथक—पृथक महिला छात्रावास एवं पुरूष छात्रावास की सुविधा है। यहाँ मंनोरंजन कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष (इन्टरनेट सुविधा समेत), खेल मैदान व व्यायामशाला उपलब्ध है।

(9) समस्या निवारण प्रकोष्ठ :—

विद्यार्थियों के समस्या—निवारण एवं महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु पृथक—पृथक प्रकोष्ठ कार्यरत हैं।

(10) स्वर्ण पदक :—

अध्ययनशालाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी के लिए स्वर्ण पदक (वि.वि. द्वारा प्रदत्त एवं दानदाताओं द्वारा प्रदत्त) स्थापित है जिसे वार्षिक दीक्षांत—समारोह में प्रदान किया जाता है।

11) व्याख्यानमाला :—

विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिवर्ष पं. रविशंकर शुक्ल स्मृति व्याख्यानमाला के नाम से राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों का समसामयिक विषयों पर व्याख्यान आयोजित किया जाता है जो कि ज्ञान/विज्ञान में अभिवृद्धि के लिए उपयोगी है।

12) आई. क्यू. ए. सी. :—

विश्वविद्यालय में इंटरनल क्वालिटी एस्योरेंस सेल नामक प्रकोष्ठ कार्यरत् है। यहाँ **"नैक"** के मापदण्डों के आधार पर अध्यापन, अनुसंधान एवं प्रशासन/प्रबंधन के सतत् मूल्यांकन हेतु सूचनाओं का संग्रहण/विश्लेषण किया जाता है।

(13) विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों को निम्नांकित सुविधाएँ उपलब्ध हैं— यूटिलिटी सेंटर, पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेल्वे रिजर्वेशन काउंटर, कैंटिन एवं वाई—फाई सुविधा।

(14) स्टूडेंट हेल्प नम्बर— 07712262619

******